भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

November 6, 2018
CC/S&B/SA/1263

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No.C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**
General Meeting of Shareholders of the Bank
Intimation and submission of copy of Gazette Notification

In terms of Regulation 4(2)(b)(i) of the Listing Regulations, we advise that the General Meeting of shareholders of the State Bank of India will be held on Friday, the 7th December, 2018 at 11.00 a.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021. We have arranged for the publication of the said notice in the Gazette of India, in accordance with Regulation 21 of SBI General Regulations, 1955. (Copy enclosed)

Please take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance &
Company Secretary

Encl.: as above.

bank.sbi
+91 22 2274 0841 / 49
+91 22 2274 1476 / 74 / 31
+91 22 2274 2842
+91 22 2285 5348
+91 22 2274 0527

शेयर एवं बॉन्ड विभाग,
कॉर्पोरेट केन्द्र,
14वा माळा, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

शेयर आणि बॉन्ड विभाग,
कारपोरेट केन्द्र,
14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

Shares & Bonds Dept,
Corporate Centre,
14thFloor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400021, India

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940
No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

मुम्बई, 2 **नवम्बर,** 2018

सं. बी ओ डी एंण्ड जी ओ/वी के के/953.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य को करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 7 दिसंबर 2018 को सुबह 11.00 बजे, "स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स, मैडम कामा रोड, मुंबई -400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहाँ इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण, चाहे भारत में या विदेश में हो, जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यधीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोद, सहमति एवं स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के तहत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति सम्मिलित हुई समझी जाएगी), और बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के अधिकारों (जिनमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार शामिल हैं) का प्रयोग करने हेतु इसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अन्य कोई समिति द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और समय-समय पर सेबी, आरबीआई तथा/अथवा अन्य दूसरी संबंधित

प्राधिकरणों, चाहे भारत में या विदेश में हो, के प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, जारी अधिसूचनाओं के अध्यधीन और उन स्टाक एक्सचेंजो के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के अध्यधीन जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध हैं, निम्नलिखित के संबंध में बैंक के शेयरधारकों की सहमति इस बोर्ड को है और एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

क. प्रति ₹ 1/- के इक्विटी शेयर ऐसी संख्या में और एक ऐसी राशि के लिए जो रुपए ₹ 20,000/- करोड़ (रुपए बीस हजार करोड़) या ऐसी राशि से अधिक न हो, जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा इस शर्त के अध्यधीन अनुमोदित किया जा सकता है कि बैंक की इक्विटी शेयर पूँजी में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर) या प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनस् प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य कोई प्रकार या उसका संमिश्रण सहित, जिसे इस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में सृजन, प्रस्तावना, निर्गमन और आवंटन के रूप में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम न हो।

ख. इक्विटी शेयरों की संख्या और निर्गम का प्रकार, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, विद्यमान शेयरधारकों तथा/अथवा अन्य दूसरे व्यक्ति जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिसके बारे में सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के तहत कहा गया हो, के लिए आरक्षण और ऐसे इश्यू का समय, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का ट्रांस्फर या इश्यू करना) विनियमन, 2017 और डिपॉजिटरी रसीद योजना, 2014 और अन्य दूसरे प्रयोज्य नियम एवं विनियमों तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारत सरकार और आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन अपने विवेकाधिकार से निर्धारित करना।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों को क्यूआईपी/एफपीओ/अन्य दूसरे ढंग से जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है को, राइट इशू को छोड़कर जाहा पर शेयर दोनों भोतिक एवं demat रूप में दिये जा सकते है, डीमैट स्वरूप में ऑफ़र और आबंटित किए जाएंगे और एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को यथा जारी एवं आबंटित इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी/एफपीओ/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे ढंग से या उनके संमिश्रण, जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, के रूप में ऑफ़र और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनस् बायर्स (क्यूआईबी) को ही इक्विटी शेयरों का आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार निर्धारित कीमत पर डिस्काउंट, यदि कोई हो, से किया जाएगा और यह डिस्काउंट 5% से अधिक नहीं होगा या ऐसा डिस्काउंट सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे शेयरों का आवंटन इस संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने की अवधि या संबंधित तिथि, जिसमें समय-समय पर सेबी (आईसीडीआर), विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, के अंदर पूरा किया जाएगा।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इस प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार और अधिकार रहेगा जो जीओआई/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज तथा/अथवा अन्य किसी प्राधिकरण, चाहे भारत में या विदेश में हो, जहाँ बैंक के शेयर/जीडीआर/एडीआर सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध हो सकते हैं, या उनके इशू, आवंटन, सूचीबद्धता एवं ट्रेडिंग जिसके लिए बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी हो, के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और संस्वीकृतियों के समय आवश्यक हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, बोर्ड ऐसी सभी कार्रवाइयां शुरू करने और ऐसे कार्य, विलेख, और ऐसे कृत्य शुरू करने, जो इनके पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे गए हों, जिनमें कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम निर्धारित करना, कर्मचारियों, और विद्यमान शेयरधारकों तथा/अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिसका निर्गम (मों) के संबंध में सेबी विनियमनों के तहत उल्लेख किया गया हो, के लिए शेयर आरक्षित रखने संबंधी निर्णय लेना शामिल हैं और ऐसे विवाद, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर के निर्गम (मों) के संबंध में उठ सकते हैं, का निपटान करने और ऐसे सभी दस्तावेज या लिखावट को अंतिम रूप देने, जो आवश्यक, वांछनीय या शीघ्र निपटान वाली हो सकती हैं और जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार से सही, उचित या वांछनीय हो सकती हैं, और जिसके लिए शेयरधारकों की अन्य कोई सहमति या का अनुमोदन या उस स्तर पर प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प से दिए हुए प्राधिकार को उनके द्वारा दिया हुआ अनुमोदन समझा जाएगा, के लिए प्राधिकृत हैं और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

कॉरपोरेट केन्द्र, रजनीश कुमार, अध्यक्ष

स्टेट बैंक भवन [विज्ञापन-III/4/असाधारण/332/18]

मैडम कामा रोड

मुंबई – 400 021

दिनांक : 30/10/2018

<u>व्याख्यात्मक विवरण</u>

<u>पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर (एफपीओ) या प्राइवेट प्लेसमेंट</u>

<u>जिसमें क्यूआईपी, जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संमिश्रण शामिल हैं</u>

<u>जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है।</u>

भारत में बेसल III की पूँजी अपेक्षाओं को लागू करने के दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में प्रभावी हो गए हैं। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2019 से पूर्ण रूप में लागू हो जाएंगे। बैंक का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 30 जून 2018 को 12.83% रहा जिसमें सीईटी-I पूंजी 9.80% है। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आरबीआई बेसल III परिवर्ती व्यवस्थाओं के अनुसार न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखा जाए। तथापि, जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि की धारणा और लाभ पुनर्निवेश को देखते हुए बैंक को वित्त वर्ष 18-19 में अतिरिक्त पूँजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

बैंक को पर्याप्त पूंजी की आवश्कता होगी तभी वह परिसंपत्तियों में प्रत्याशित वृद्धि कर पाएगा और पूंजी पर्याप्तता की स्थिति विशेषकर पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अर्थात 0.625% की अपेक्षा को प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष 15-16 से लेकर वित्त वर्ष 18-19, 01.04.2016 से 01.04.2019 की प्रत्येक वर्ष की 0.15% की डी-एसआईबी पूंजी अपेक्षा और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी) तक के लिए पूरा कर पाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष तथा आने वाले वर्षों के दौरान व्यवसाय वृद्धि को देखते हुए और अधिक पूँजी विशेषकर टियर–I पूंजी की आवश्यकता होगी। शुरुआत में उद्दिष्ट पूंजी अनुपातों को लक्षित करने से वित्त वर्ष 19 की पूंजी अपेक्षाओं की सुचारु रूप से पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को देखते हुए, बैंक ने ₹ 20,000 करोड़ (रुपये बीस हजार करोड़) या ऐसी राशि, जो भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा सकती है, के प्रति 1 के इक्विटी शेयर जारी करके बाजार से पूंजी जुटाने की योजना बनाई है जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा इस शर्त के अध्यधीन अनुमोदित किया जा सकता है कि बैंक की इक्विटी शेयर पूँजी में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर) या प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनस्

प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य कोई प्रकार या उसका संमिश्रण सहित, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, जिसे इस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में सृजित, प्रस्तावित, निर्गम और आवंटन के रूप में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम न हो। बैंक बाजार से पूंजी जुटाने और उसके प्रकार के लिए अपनी संस्तुतियों के प्रति आरबीआई और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेगा ,तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की विनियम 41 के अनुसार शेयरधारकों को यदि कोई प्रतिभूति प्रस्तावित नहीं की गई है, तो उन्हें समानुपातिक आधार पर अन्य कोई प्रतिभूति जारी करने हेतु निर्गम को अनुमोदित करना आवश्यक है। एफपीओ/क्यूआईपी/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संमिश्रण के रूप में इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा यथा अनुमोदित विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों को विभिन्न मध्यस्थों और ऐसे अन्य संबंधितों तथा प्राधिकारियों के साथ चर्चा करके बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिनकी प्रचलित बाजार परिस्थितियों और अन्य संबंधित घटकों पर विचार करने हेतु आवश्यकता हो सकती है।

इस निर्गम (मों) की आगम राशियों का उपयोग बैंक की दीर्घकालीन निधीयन आवश्यकताएं, बैंक की संवृद्धि शील पूंजी अपेक्षाएं, बैंक के पूंजी खर्च को पूरा करने, निवेश करने/ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराने, अपने दीर्घकालीन संसाधनों में वृद्धि करने हेतु किया जाना प्रस्तावित है और इससे बैंक और इसके अनुषंगियों, सहयोगियों की पूंजी संरचना सुदृढ़ होगी और प्रयोज्य कानूनों द्वारा यथा अनुमोदित सामान्य बैंकिंग प्रयोजन हासिल होंगे।

इस विशेष संकल्प में इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर एक या एक से अधिक श्रृंखला में, एक साथ या अनेक बार, ऐसी कीमत या ऐसी कीमतों पर, और ऐसे निवेशकों, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, और जिन्हें बोर्ड अपने विवेकाधिकार से उचित समझता है, को जारी करने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। निदेशक बोर्ड पब्लिक इश्यू के रूप में (अर्थात फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर) या प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनस् प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य कोई प्रकार या उसका संमिश्रण सहित, जिसे भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, प्रस्तावित इक्विटी जुटाने के संबंध में सभी संबंधित सांविधिक, विनियामक या अन्य दूसरे प्रयोज्य दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुपालन के अध्यधीन इस नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन की सिफारिश करता है।

टिप्पणियां

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची :

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे सोलह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक की वेबसाइट: www.sbi.co.in पर Investors Relations/SHAREHOLDERS INFO के तहत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं :

(1) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई- 400021 – टेलीफोन नं. (022)-22740841-0848.

(2) मेसर्स अलंकित एसाइंमेंट्स लिमिटेड, आर.आर. हाउस, आईडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400013, टेलीफोन नं. (022) 4348100.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 07/12/2018 को साधारण सभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021 में दिनांक 29/11/2018 को या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि

साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने

संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में दिनांक 01/12/2018 को या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

(i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, 14वीं मंजिल, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021

(ii) मेसर्स अलंकित एसाइंमेंट्स लिमिटेड, आर.आर. हाउस, आईडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400013, टेलीफोन नं. (022) 4348100.

****

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

Mumbai, the 2nd November, 2018

No. BOD & GO/VKK/953.—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Friday, the 7th December, 2018 at 11.00 a.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra) to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval(s), consent(s) and sanction(s), if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other concerned and appropriate authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and which may be agreed to by the Central Board of Directors (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, and any other Committee of Directors constituted under section 30 of the Act duly authorized by the Central Board to exercise its powers (including the powers conferred by this resolution) of the Bank and subject to applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to "the Board" :-

a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, for an amount not exceeding Rs.20,000 crores (Rupees twenty thousand crores) or such amount as approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in equity share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Offer) or Private Placement, including Qualified Institutions Placement (QIP) /Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board.

b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and the timing of such issue(s), at its discretion subject to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and the Depository Receipts Scheme, 2014 and all other applicable Rules and Regulations and subject to GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act, 1955.

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/ any other mode, as approved by GoI & RBI shall be in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both physical and dematerialized form, and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/GDR/ADR and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares

of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory provisions/guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) on a discount not exceeding 5%, if any on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI ICDR Regulations, 2018 or such discount as may be specified by SEBI and the allotment of such shares shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or may be imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and/or any other authority, whether in India or abroad, where the equity shares/GDR/ADR of the Bank are listed or may be listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approval(s), consent(s), permission(s) and sanction(s) for the issue(s), allotment(s), listing(s) and trading(s) thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on price or prices, discount / premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations of issue(s) and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue(s) of the equity shares/GDR/ADR and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021
Date: 30/10/2018

RAJNISH KUMAR, Chairman
[Advt.-III/4/Exty./332/18]

EXPLANATORY STATEMENT

Public Issue [i.e. Follow-on-Public Offer (FPO)] or Private Placement including QIP, GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 31st March, 2019.The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 30th June, 2018, stands as 12.83%, with CET-I Capital at 9.80 %. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratios in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumptions of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 18-19.

The Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e.0.625% every year from FY15-16 to FY 18-19, Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) capital requirement of 0.15% every year starting from 01.04.2016 to 01.04.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB). Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY19 Capital requirements. After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to an amount of Rs.20,000 crore (Rupees twenty thousand crore) or such amount as may be approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /Further Public Offer (FPO) / Private Placement/Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs)/ and/ or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank. The Bank will seek necessary approval from RBI & GoI for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not

offered to them on a proportionate basis. The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO / Private placement/QIP/ GDRs /ADRs/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI will be determined by the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authorities as may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

The proceeds of the issue(s) are proposed to be used to meet long term funding requirements of the Bank, Bank's growth capital requirements, to meet the Bank's capital expenditure, making investments/providing loans and advances, enhance its long term resources and thereby strengthening the financial structure of the Bank and its subsidiaries and associates and other general banking purposes as permitted by applicable laws.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/ GDR/ ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or QIP or Private Placement, including Global Depository Receipt(GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

NOTES:

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's Sixteen Local Head Offices, and Bank's websites: www.sbi.co.in under the link Investors Relations/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

(i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai –400021, Telephone: (022) 2274 0841- 0848.

(ii) M/s Alankit Assignments Limited. R.R. House Ideal Industrial Estate, Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai-400013. Telephone: (022) 4348100.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 07.12.2018.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 29.11.2018.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 01.12.2018:

(i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.

(ii) M/s Alankit Assignments Limited. R.R. House Ideal Industrial Estate, Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai-400013. Telephone: (022) 4348100.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.